फर्द अहकाम

…यालय उपजिलाधिकारी [illegible]

कालूराम बनाम सरकार

…दमा संख्या /वर्ष : 60/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/4/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ~~विधानसभा~~ लोकसभा आम चुनाव–2024 में व्यस्त होने से पत्रावली में जरनल तारीख पेशी की जाकर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/5/24 को पेश हो	
9/5/24	पत्रावली पेश हुई। वादी के उपस्थित तथा वकील प्रतिवादी ने आपत्ति वकालतनामा दिया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गयी। तथा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 108 राजस्व संहिता आदि को स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी निर्णय पृथक से लिखा आदेश पारित निर्णय किया गया। निर्णय आदेश पर हस्ताक्षर उद्घोषित गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नकल अमल हो तथा बाद प्रति होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	उप खण्ड अधिकारी [illegible]	

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
80/2020	27/07/2020	09.05.2024

कालूराम पुत्र मूल्या जाति मीना निवारी ग्राम दादियापट्टी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

रामफूल पुत्र मूल्या जाति मीना निवारी ग्राम दादियापट्टी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

उप पंजीयक जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री सत्यपाल गुर्जर :- वकील वादी

दावा बाबत सीमा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

-: निर्णयः-

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता के पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम दादियापटटी पटवार हल्का धर्मपुरा तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 111/1 रकबा0.7150है0, भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित है। खसरा नम्बर 110 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 111/2 रकबा 0.6050है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7150है0 प्रतिवादी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित है। जिसे उक्त वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी कहा गया है। उक्त वादग्रस्त भूमियां आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 111 रकबा 1.58है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.59है0 मे वादी का हिस्सा 9/20 व प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा 9/20 दर्ज रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत पूर्व में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के यहा मुकदमा नम्बर 113/2017 उनवान कालू बनाम रामफूल वगै0 विचाराधीन रहा है। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2018 को उक्त सभी पक्षकारों की सहमति के आधार पर न्याय आपके द्वार कैम्प धामस्या में रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान मे रखते हुये सरसा-नरस के आधार पर वादी के वाद को प्राथमिक डिकी किया गया तथा तहसीलदार जमवारामगढ को निर्देश दिये कि उभय पक्षों को सूचित करते हुये उभय पक्षों की मौजूदगी में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाया जावें तत्पश्चात श्रीमान तहसीलदार महोदय से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को दिनांक 17.12.2018 को पत्रावली में शामिल की गई व उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 24.01.2019 को उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार वाद मे अन्तिम डिकी पारित की गई व अन्तिम डिकी व निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ भिजवाई गई। उक्त निर्णय की पालना में हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवादी सं0 2 से मिलीभगत करके माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.01.2019 के साथ संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट के विपरीत जाकर राजस्व नक्शें में वादी के खसरा नम्बर 111/1 के रोड से लगवा रकबे को कम कर प्रतिवादी सं0 2 के खसरा नम्बर 111 व 111/2 के रकबे को रोड पर बढाकर राजस्व नक्शें में तरमीम कर दिया गया जो कि माननीय न्यायालय के निर्णय व कानून के विपरीत कार्यवाही हैं जिसे राजस्व नक्शें में दुरूस्त किया जाकर निर्णय के साथ संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर राजस्व नक्शें में वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 111/1 की सीमा घोषणा की जाकर राजस्व नक्शे मे तरमीम किये जाने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 111/1 रकबा 0.7150है0 की राजस्व नक्शें में माननीय

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(212)

यालय के आदेश व कुरेंजात रिपोर्ट के विपरीत की गई गलत तरमीम को दुरूस्त कर माननीय यालय के आदेश दिनांक 24.01.2019 के साथ संलग्न कुरेंजा रिपोर्ट के आधार पर सरस–नरस सार रोड से लगवा हिस्से अनुसार सीमा घोषणा कर नवीन नक्शे में तरमीम कर अंकन किया वे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवावे कि वाके ग्राम दादियापटटी स्थित वादग्रस्त भूमि में गलत तरमीम का फायदा उठाकर वादी के कब्जे काश्त व रोड से लगवा स्से में कोई दखल अन्दाजी नही करें, व बैचान हस्तान्तरण नही करें, किसी प्रकार का च्चा–पक्का निर्माण नही करें, रोड से लगवा भूमि पर मुड्डियां नही गाडे, तारफेन्सीग नही करें, के व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें, उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही पने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट से करवायें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों की तलबी करवाई गई। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से धिवक्ता श्री महेश शर्मा उपस्थित होकर दिनांक 7.9.20 को वकालतनाम पेश किया तथा दिनांक 09.5.2024 को अपना वकालतनामा विड्रो कर लिया। वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई।

अतः वकील वादी की एक तरफा बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार केया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम दादियापट्टी, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित वादी की भूमि खसरा नम्बर 111/1 रकबा 0.7150 को मुताबिक न्यायालय हाजा के मुकदमा नं0 113/2017 उनवान कालू बनाम रामफूल वगै0 में पारित बंटवारा हेतु निर्णय दिनांक 24.01.2019 के संलग्न कुरेंजात के नक्शे अनुसार तरमीम कर मुताबिक कुरेंजात अंकन कर नक्शा दुरूस्त किया जावें तथा प्रतिवादी सं0 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वाके ग्राम दादियापटटी में स्थित खसरा नम्बर 111/1 में वादी के कब्जे काश्त व रोड से लगवा हिस्से में कोई दखल अन्दाजी नही करें,, किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नही करें, रोड से लगवा भूमि पर मुड्डियां नही गाडे, तारफेन्सीग नही करें, उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट से करवायें। तदनुसार डिकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ